

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी:- जितेन्द्र कुमार पाण्डे, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:- 14/2014 (2014/00051)

तारीख दायरा-03.03.2014

तारीख निर्णय-16.01.2020

1. श्री पुखराज उर्फ प्रकाश पिता वेणा ब्राहमण निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।

.....वादी

बनाम

1. श्री किशनलाल पिता वेणा ब्राहमण निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।
2. मु0 फेफीबाई बेवा वेणा ब्राहमण निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।
3. श्री केशुलाल पिता मोहन ब्राहमण निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।
4. श्री नारायणलाल पिता मोहन ब्राहमण निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।
5. श्री रतनलाल पिता मोहन ब्राहमण निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।
6. श्री जगदीश पिता पेमा ब्राहमण निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।
7. मु0 सवागी बाई बेवा पेमा ब्राहमण निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।
8. श्री बाबुलाल उर्फ लच्छा पिता शंकर ब्राहमण निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।
9. मु0 कालीबाई बेवा पन्नलाल ब्राहमण निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।
10. मु0 तुलसीबाई बेवा मगनलाल ब्राहमण निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।
11. श्री मोतीलाल पिता इन्दरमल ब्राहमण निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।
12. श्री पन्नलाल पिता इन्दरमल ब्राहमण निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।
13. श्री मगनलाल पिता इन्दरमल ब्राहमण निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।
14. मु0 मोहनीबाई बेवा इन्दरमल ब्राहमण निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।
15. श्री डालुराम पिता गणेश ब्राहमण निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।
16. श्री खेमराज पिता गणेश ब्राहमण निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।
17. मु0 मगनीबाई बेवा गणेश ब्राहमण निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला उदयपुर

श्री मोतीलाल मुतबन्ना गुलाब ब्राहमण निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।

19. श्री भूता पिता केशा ब्राह्मण निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।

20. भूमिधारी जरिये तहसीलदार गोगुन्दा।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी. एक्ट

उपस्थित- वादी की ओर से- श्री खुमाणसिंह राव

प्रतिवादी की ओर से- श्री भगवतीलाल तेली

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त स्वामित्व, आधिपत्य एवं कब्जे शुदा कृषि भूमि ग्राम सामल पटवार मण्डल पदराडा में स्थित है, जो मौजा सामल पटवार क्षेत्र पदराडा तहसील गोगुन्दा की जमाबन्दी संवत् 2067 से 2070 के खाता संख्या 39 में वर्णित आराजियात किता 8 कुल रकबा 2.3200, खाता संख्या 84 में वर्णित आराजियात किता 2 कुल रकबा 0.0400, खाता संख्या 86 में वर्णित आराजियात किता 31 कुल रकबा 1.6450, खाता संख्या 229 में वर्णित आराजियात किता 12 कुल रकबा 1.1350, खाता संख्या 230 में वर्णित आराजी किता 1 कुल रकबा 1.1700 है 0 भूमि है। उक्त वादग्रस्त आराजियात के वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार होकर अपने अपने हिस्से पर मुख जबानी बंटवाडे अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वर्णित आराजियात में जो कि उनके खाते में दर्ज है, उसमें अपने हक हिस्से का बंटवाडा हिस्से अनुसार करने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया और उनके द्वारा बराबर धमकी दी जा रही है कि वो शीघ्रताशीघ्र जमीन बेच देंगे एवं वादीगण को मौके से बेदखल कर देंगे इस प्रकार की धमकी दी जा रही है, जिससे उक्त वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित कृषि आराजियात भूमि वादपत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी आधिपत्य की है और उक्त आराजियात पर मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने हिस्से पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है और वादी नही चाहता की आगे किसी तरह का कोई विवाद हो इस कारण से वादी उक्त खाते अनुसार अपने हिस्से का बंटवाडा कराना चाहता है ताकि भविष्य में शांति नही रहे तथा वादी एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से पर शांति पूर्वक खेती कर सके। इस बाबत वादी ने प्रतिवादीगण को बंटवाडा करने को कहा लेकिन उसके लिये प्रतिवादीगण कतई तैयार नही है, इसलिये यह वाद बंटवाडा का प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। मौके पर वादी एवं प्रतिवादीगण अपने-अपने हिस्से पर काबिज

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला उदयपुर

काश्त है, परन्तु वादी की भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 हस्तक्षेप करना चाहता है व वादी के हिस्से की जमीन को खुर्द-बुर्द करना चाहता है इस कारण प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है। वाद कारण दिनांक 10.02.2014 को पैदा हुआ जब वादी ने प्रतिवादीगण के मध्य उक्त जमीन का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारा करा खाता अलग-अलग करने को कहा एवं वादी के कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करने को कहा तो प्रतिवादीगण ने इन्कार कर दिया। उसके बाद से निरन्तर जारी है। अतः निवेदन किया गया कि वादी का वाद स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरुद्ध इस आशय की डिक्री पारित फरमाई जावें कि वादपत्र की पैरा संख्या एक में वर्णित आराजियात की भूमि का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से बंटवारा कराकर भूमि अलग-अलग खाते दर्ज कराने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण पेश होने पर बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन मय नकल वाद पत्र के तलब किये गये। प्रतिवादी संख्या 1, 3 से 20 बावजुद सूचना एवं सम्मन तामील के अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर कर वादग्रस्त भूमि का बंटवाडा किया जाता है, तो कोई आपत्ती नहीं है का कथन अंकित किया है। प्रकरण में इकबालिया जवाब पेश होने से तनकीयात कायम नहीं की गई। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हिस्सेनुसार विभाजन मौके के कब्जे को ध्यान में रखते हुए अच्छी में से अच्छी एव बुरी में से बुरी के सिद्धान्त के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुशरण में विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार गोगुन्दा को कमिश्नर नियुक्त किया गया। प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार ने बंटवारा योजना उभय पक्ष की उपस्थिति में तैयार कर रिपोर्ट प्रस्तुत की, बंटवारा रिपोर्ट पर वादी को सुना जाकर अवलोकन किया गया।

वाद वर्णित भूमि का पक्षकारों के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किया गया है। बंटवारा में किसी भी पक्षकार को कोई भी आपत्ती नहीं है, इसलिए विभाजन योजना प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर फाईनल डिक्री जारी की जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद साबित पाये जाने से स्वीकार किया जाता है एवं मौजा सामल पटवार हल्का पदराडा की जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 के आराजी नम्बर/ रकबा क्रमश 1001/2-0.0150, 1005/0.0100, 1006/0.0100, 1007/0.0100, 1024/1-0.0200, 1010/1-0.0150, 1009/1-0.0100, 1526मी0/0.0550, 1174मी0/0.1250, 1171मी0/0.0300, 1014/2-0.0250, 1498मी0/0.0300, 1489/0.0350, 1530/1-0.0200, 1534/4-0.1100, 935/0.0300

उपरिष्ठ अधिकारी
गोगुन्दा, जिला उदयपुर

है 0 कुल कित्ता 16 रकबा 0.5500 है 0 भूमि का जगदीश पिता पेमा , सवागीबाई पत्नि पेमा ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। 1001/1-0.0150, 989मी0/0.0100, 1024मी0/0.0200, 1010मी0/0.0150, 1009/2-0.0150, 1499/0.0700, 1431/0.0550, 1530मी0/0.0150, 1534मी0/0.0650, 936/1-0.0050, 939/0.0100, 1174/0.0800, 1173/0.0050, 1171/1-0.0300, 1014/1-0.0250, 1008/0.0150, 991/0.0150, 1498/1-0.0300, 1526/1-0.0550 कुल कित्ता 19 रकबा 0.5500 है 0 भूमि का बाबुलाल पिता रोशनलाल ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। 1001/3-0.0100, 1009/3-0.0050, 1014/3-0.0100, 1428/1-0.0300, 989/1-0.0050, 1050/1-0.0100, 1013/0.0050, 1015/1-0.0100, 1162/1-0.0250, 1178/1-0.0150, 1505/1-0.0200, 1534/1-0.0350, 936/2-0.0050 कुल कित्ता 13 रकबा 0.1850 भूमि का किशनलाल पिता वेणा ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। 989/2-0.0050, 1428/2-0.0250, 1001/4-0.0050, 1009/4-0.0050, 1014/4-0.0100, 1050/2-0.0100, 1015/2-0.0150, 1162/2-0.0200, 1178/2-0.0150, 1505/2-0.0150, 1534/2-0.0500, 936/3-0.0050, कुल कित्ता 12 रकबा 0.1800 है 0 भूमि का पुखराज पिता वेणा ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। 1428मी0/0.0300, 1001मी0/0.0050, 1009मी0/0.0050, 1014मी0/0.0100, 1050मी0/0.0050, 1015मी0/0.0150, 1162मी0/0.0250, 1178मी0/0.0150, 1505मी0/0.0150, 1534/3-0.0500, 936मी0/0.0050 कुल कित्ता 11 रकबा 0.1800 भूमि का फुली पत्नि स्व0 वेणा ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। आराजी नम्बर 1552/1 रकबा 0.0030 है 0 भूमि का जगदीश पिता पेमा , सवागी पत्नि स्व0 पेमा ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। आराजी नम्बर 1552/2 रकबा 0.0030 है 0 भूमि का बाबुलाल पिता शंकर ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। आराजी नम्बर 1552/3 रकबा 0.0020 है 0 भूमि का किशनलाल पिता वेणा ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। आराजी नम्बर 1552/4 रकबा 0.0020 है 0 भूमि का पुखराज पिता वेणा ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। आराजी नम्बर 1552मी0 रकबा 0.0100 है 0 भूमि का मोतीलाल मुतबन्ना गुलाब ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। आराजी नम्बर 1551/1 रकबा 0.0100 है 0 भूमि का मोवनीबाई पत्नि इन्दरमल , मोतीलाल, पन्नालाल, मगनलाल पिता इन्दरमल ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। आराजी नम्बर 1551/2 रकबा 0.0050 है 0 भूमि का केशुलाल, नारायाणलाल, रतनलाल पिता मोहनलाल ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। आराजी नम्बर 1551मी0 रकबा 0.0050 है 0 भूमि का डालुलाल, खेमराज पिता गणेश, मगनीबाई पत्नि गणेश ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। आराजी


उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला उदयपुर

नम्बर / रकबा क्रमश 1305/1-0.0500, 1305/2-0.0600, 1305/3-0.0800, 1300मी0/0.0300, 1304मी0/0.0400 कुल किता 5 रकबा 0.2600 है0 भूमि का लच्छा पिता शंकरलाल को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। आराजी नम्बर 1305/5 रकबा 0.1300 है0 भूमि का किशनलाल पिता वेणा ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। आराजी नम्बर/रकबा 1308/1-0.1350, 1306/0.0500, 1325/1-0.0850 कुल किता 3 रकबा 0.2700 है0 भूमि का चुन्नीलाल पिता तुलसीराम ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। आराजी नम्बर 1305/मी0 रकबा 0.1300 है0 भूमि का पुखराज पिता वेणा ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। 1308मी0/0.1400, 1307/0.0550, 1325मी0/0.0800 कुल किता 3 रकबा 0.2750 है0 भूमि का कालिबाई पत्नि पन्नालाल, तुलसीबाई पत्नि मगनलाल ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। आराजी नम्बर 1324 रकबा 0.1000 है0 भूमि का मोतीलाल, पन्नालाल, मगनलाल पिता इन्दरमल, मोवनीबाई पत्नि इन्दरमल ब्राम्हण, रहन एस0बी0बी0जे0 सायरा हिस्सा मोतीलाल को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। आराजी नम्बर 1533/4 रकबा 0.3900 है0 भूमि का मोतीलाल मु0 गुलाब ब्राम्हण रहन एस0बी0बी0जे0 सायरा हिस्सा मोतीलाल को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। आराजी नम्बर 1533/1 रकबा 0.1300 है0 भूमि का जगदीश पिता पेमा सवागीबाई पत्नि पेमा ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। आराजी नम्बर 1533/2 रकबा 0.1300 है0 भूमि का किशनलाल पिता वेणीराम ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। आराजी नम्बर 1533/3 रकबा 0.1300 है0 भूमि का पुखराज पिता वेणा ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। आराजी नम्बर 1533मी0 रकबा 0.3900 है0 भूमि का बंशीलाल, छगनीबाई, मोवनीबाई पिता भूता ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। 1541/1-0.2250, 1578/1-0.2050, 1580/0.0200, 1579/0.0750, 1169/0.0150, 1168मी0/0.0100, 1167/0.0150 कुल किता 7 रकबा 0.5650 है0 भूमि का मोतीलाल मु0 गुलाब ब्राम्हण रहन एस0बी0बी0जे0 सायरा को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। 1541/2-0.0750, 1578/2-0.0400, 1584/0.0500, 1172/0.0200, 1168/1-0.0050 कुल किता 5 रकबा 0.1900 है0 भूमि का जगदीश पिता पेमा, सवागीबाई पत्नि पेमा ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। 1541/3-0.0750, 1578/3-0.0500, 1582-0.0650, कुल किता 3 रकबा 0.1900 है0 भूमि का बाबुलाल पिता शंकरलाल ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। 1541/4-0.0400, 1581/1-0.0100, 1585मी0/0.0050, 1578/4-0.0400 कुल किता 4 रकबा 0.0950 है0 भूमि का किशनलाल पिता वेणीराम ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। इसी प्रकार 1541मी0/0.0350, 1581मी0-0.0100, 1585/1-0.0100, 1578मी0/0.0100, 1578/5-0.0300 कुल किता 5

उपखण्ड अधिकारी
गोधुन्दा, जिला उदयपुर

रकबा 0.0950 है0 भूमि का पुखराज पिता वेणा ब्राम्हण को खातेदार काशतकार घोषित किया जाता है। एतदनुसार डिकी पर्चा जारी किया जा कर राजस्व रेकर्ड में अमल चरामब किया जावें। पत्रावली निर्णित होकर संख्या से कम होकर वाखिल वपत्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2020 को सुनाया गया।


16/1/2020
(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
उपरखण्ड अधिकारी
गोगुन्वागुन्दा उदयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा जिला उदयपुर (राज.)

वाद डिकी

पीठासीन अधिकारी:- जितेन्द्र कुमार पाण्डे, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 14 / 2014 (2014 / 00051)

दिनांक:-16.05.2020

वादी पक्ष

1. श्री पुखराज उर्फ प्रकाश पिता वेणा ब्राहमण निवासी सामल तहसील गोगुन्दा।

प्रतिवादी पक्ष

1. श्री किशनलाल पिता वेणा ब्राहमण निवासी सामल तहसील गोगुन्दा वगैरह।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी. एक्ट

उपस्थित- वादी की ओर से- श्री खुमाणसिंह राव

प्रतिवादी की ओर से- श्री भगवतीलाल तेली


पत्रावली अन्तिम निपटारे के लिये आज दिनांक 16.01.2020 को प्रस्तुत होने पर वादीगण का वाद बहक वादी डिकी किया जाता है मौजा सामल पटवार हल्का पदराडा की जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 के आराजी नम्बर/ रकबा कंमश 1001/2-0.0150, 1005/0.0100, 1006/0.0100, 1007/0.0100, 1024/1-0.0200, 1010/1-0.0150, 1009/1-0.0100, 1526मी0/0.0550, 1174मी0/0.1250, 1171मी0/0.0300, 1014/2-0.0250, 1498मी0/0.0300, 1489/0.0350, 1530/1-0.0200, 1534/4-0.1100, 935/0.0300 है0 कुल कित्ता 16 रकबा 0.5500 है0 भूमि का जगदीश पिता पेमा , सवागीबाई पत्नि पेमा ब्रम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। 1001/1-0.0150, 989मी0/0.0100, 1024मी0/0.0200, 1010मी0/0.0150, 1009/2-0.0150, 1499/0.0700, 1431/0.0550, 1530मी0/0.0150, 1534मी0/0.0650, 936/1-0.0050, 939/0.0100, 1174/0.0800, 1173/0.0050, 1171/1-0.0300, 1014/1-0.0250, 1008/0.0150, 991/0.0150, 1498/1-0.0300, 1526/1-0.0550 कुल कित्ता 19 रकबा 0.5500 है0 भूमि का बाबुलाल पिता रोशनलाल ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। 1001/3-0.0100, 1009/3-0.0050, 1014/3-0.0100, 1428/1-0.0300, 989/1-0.0050, 1050/1-0.0100, 1013/0.0050, 1015/1-0.0100, 1162/1-0.0250, 1178/1-0.0150, 1505/1-0.0200, 1534/1-0.0350, 936/2-0.0050 कुल कित्ता 13 रकबा 0.1850 भूमि का किशनलाल

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला उदयपुर

पिता वेणा ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। 989/2-0.0050, 1428/2-0.0250, 1001/4-0.0050, 1009/4-0.0050, 1014/4-0.0100, 1050/2-0.0100, 1015/2-0.0150, 1162/2-0.0200, 1178/2-0.0150, 1505/2-0.0150, 1534/2-0.0500, 936/3-0.0050, कुल किता 12 रकबा 0.1800 है० भूमि का पुखराज पिता वेणा ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। 1428मी०/0.0300, 1001मी०/0.0050, 1009मी०/0.0050, 1014मी०/0.0100, 1050मी०/0.0050, 1015मी०/0.0150, 1162मी०/0.0250, 1178मी०/0.0150, 1505मी०/0.0150, 1534/3-0.0500, 936मी०/0.0050 कुल किता 11 रकबा 0.1800 भूमि का फुली पत्नि स्व० वेणा ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। आराजी नम्बर 1552/1 रकबा 0.0030 है० भूमि का जगदीश पिता पेमा , सवागी पत्नि स्व० पेमा ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। आराजी नम्बर 1552/2 रकबा 0.0030 है० भूमि का बाबुलाल पिता शंकर ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। आराजी नम्बर 1552/3 रकबा 0.0020 है० भूमि का किशनलाल पिता वेणा ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। आराजी नम्बर 1552/4 रकबा 0.0020 है० भूमि का पुखराज पिता वेणा ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। आराजी नम्बर 1552मी० रकबा 0.0100 है० भूमि का मोतीलाल मुतबन्ना गुलाब ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। आराजी नम्बर 1551/1 रकबा 0.0100 है० भूमि का मोवनीबाई पत्नि इन्दरमल , मोतीलाल, पन्नालाल, मगनलाल पिता इन्दरमल ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। आराजी नम्बर 1551/2 रकबा 0.0050 है० भूमि का केशुलाल, नारायाणलाल, रतनलाल पिता मोहनलाल ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। आराजी नम्बर 1551मी० रकबा 0.0050 है० भूमि का डालुलाल, खेमराज पिता गणेश, मगनीबाई पत्नि गणेश ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। आराजी नम्बर / रकबा क्रंश 1305/1-0.0500, 1305/2-0.0600, 1305/3-0.0800, 1300मी०/0.0300, 1304मी०/0.0400 कुल किता 5 रकबा 0.2600 है० भूमि का लच्छा पिता शंकरलाल को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। आराजी नम्बर 1305/5 रकबा 0.1300 है० भूमि का किशनलाल पिता वेणा ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। आराजी नम्बर/रकबा 1308/1-0.1350, 1306/0.0500, 1325/1-0.0850 कुल किता 3 रकबा 0.2700 है० भूमि का चुन्नीलाल पिता तुलसीराम ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। आराजी नम्बर 1305/मी० रकबा 0.1300 है० भूमि का पुखराज पिता वेणा ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। 1308मी०/0.1400, 1307/0.0550, 1325मी०/0.0800 कुल किता 3 रकबा 0.2750 है० भूमि का कालिबाई पत्नि पन्नालाल, तुलसीबाई पत्नि मगनलाल ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। आराजी नम्बर 1324

उपखण्ड अधिकारी
गोगुन्दा, जिला उदयपुर

रकबा 0.1000 है0 भूमि का मोतीलाल, पन्नालाल, मगनलाल पिता इन्दरमल, मोवनीबाई पत्नि इन्दरमल ब्राम्हण, रहन एस0बी0बी0जे0 सायरा हिस्सा मोतीलाल को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। आराजी नम्बर 1533/4 रकबा 0.3900 है0 भूमि का मोतीलाल मु0 गुलाब ब्राम्हण रहन एस0बी0बी0जे0 सायरा हिस्सा मोतीलाल को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। आराजी नम्बर 1533/1 रकबा 0.1300 है0 भूमि का जगदीश पिता पेमा सवागीबाई पत्नि पेमा ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। आराजी नम्बर 1533/2 रकबा 0.1300 है0 भूमि का किशनलाल पिता वेणीराम ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। आराजी नम्बर 1533/3 रकबा 0.1300 है0 भूमि का पुखराज पिता वेणा ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। आराजी नम्बर 1533मी0 रकबा 0.3900 है0 भूमि का बंशीलाल, छगनीबाई, मोवनीबाई पिता भूता ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। 1541/1-0.2250, 1578/1-0.2050, 1580/0.0200, 1579/0.0750, 1169/0.0150, 1168मी0/0.0100, 1167/0.0150 कुल कित्ता 7 रकबा 0.5650 है0 भूमि का मोतीलाल मु0 गुलाब ब्राम्हण रहन एस0बी0बी0जे0 सायरा को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। 1541/2-0.0750, 1578/2-0.0400, 1584/0.0500, 1172/0.0200, 1168/1-0.0050 कुल कित्ता 5 रकबा 0.1900 है0 भूमि का जगदीश पिता पेमा, सवागीबाई पत्नि पेमा ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। 1541/3-0.0750, 1578/3-0.0500, 1582-0.0650, कुल कित्ता 3 रकबा 0.1900 है0 भूमि का बाबुलाल पिता शंकरलाल ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। 1541/4-0.0400, 1581/1-0.0100, 1585मी0/0.0050, 1578/4-0.0400 कुल कित्ता 4 रकबा 0.0950 है0 भूमि का किशनलाल पिता वेणीराम ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है। इसी प्रकार 1541मी0/0.0350, 1581मी0-0.0100, 1585/1-0.0100, 1578मी0/0.0100, 1578/5-0.0300 कुल कित्ता 5 रकबा 0.0950 है0 भूमि का पुखराज पिता वेणा ब्राम्हण को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है।


(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)
उपखण्ड अधिकारी
गोमुन्दजिल्हाकुरयपुर

